P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-9* May- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

धारा 376 (ई) का औचित्य
'नारी के मर्यादित अस्तित्व को रौंदते हुए, विशेषकर 16 दिसम्बर 2012 के दिल्ली के निर्भया सामूहिक बलात्कार केस में, अमानुशिकता की पराकाष्ठा को लाँघने की परिणति है धारा 376 की संशोधित धारा 376 (ई)'

राजेश बहुगुणा
प्राचार्य एवं डीन,
लॉ कालेज,
उत्तरांचल विश्वविद्यालय,
देहरादून

सुमेर चन्द रवि
विधि शोध छात्र,
उत्तरांचल विश्वविद्यालय,
देहरादून

सारांश

सर्वप्रथम महिलाओं के गौरवमयी इतिहास एवं पृष्ठभूमि को विभिन्न युगों और कालों में उन्हें प्राप्त सम्मान का वर्णन किया गया है ताकि वर्तमान 21वीं सदी में सरकारों द्वारा उनके मान–सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित और संरक्षित रखने की ओर हम नैतिक और स्वाभाविक तथा भावनात्मक दृष्टिकोण के लिए क्यों तैयार हो सकें इसका स्वाभाविक परिवेश सृजित किया जा सके। हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को रोकने में मानसिक रूप से तत्पर रहकर अपनी भूमिका का निर्वहन सुनिश्चित करें इसी कारण सोपान–दर–सोपान विभिन्न कालों और युगों में वर्तमान की अद्यतन स्थिति तक संजोकर प्रस्तुत किया गया है। 16 दिसम्बर 2012 के दिल्ली के सामूहिक बलात्कार केस में अमानुषिकता की पराकाष्ठा को लाँघने की परिणति है धारा 376 की संशोधित धारा 376(ई)। इस तथ्य के प्रस्तुतिकरण से पूर्व महिलाओं की गरिमामयी ऐतिहासिक समाज निर्माण के प्रागैतिहासिक काल से लेकर वैदिक काल, बौद्धिक काल, जैन धर्म काल, बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत युग काल, मध्य युग काल, पश्चिमी सभ्यता काल, भक्ति काल पर दृष्टिपात करते हुए महिलाओं के गौरवमयी इतिहास को जिन 71 महत्वपूर्ण पुस्तकों व ग्रन्थों के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया है, विषय वस्तु से पूर्व प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है कि आज के 20वीं तथा 21वीं सदी के मिश्रित काल में महिलाओं के उत्थान के संदर्भ में चलाये गये विभिन्न शैक्षणिक और उनके सर्वांगीण विकास की स्थिति को मजबूती देने के उद्देश्य को लेकर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया गया है। महिलाओं के प्रति मानवाधिकार आयोग का दृष्टिकोण, शोधकर्ता राजीव कुमार के "बलात्कार पर मृत्युदण्ड" विषय पर तथा 2012 का दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला जो विधि वेत्ताओं, न्यायविदों और संविधान वेत्ताओं के समक्ष धारा 376 की संशोधित धारा 376 (ई) का मुख्य स्रोत तथा इस धारा का औचित्य उत्पन्न करता है का विशेष जिक्र किया गया है। मुम्बई का टेलीफोन आपरेटर बलात्कार केस, मुम्बई फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार केस, मृत्युदण्ड की त्रुटियों की अपूर्णियता, आजीवन कारावास के प्रमुख आधारों में से एक। लेख के अन्तिम भाग में समाज के लिये नसीहत है दाण्डिक व मानवाधिकार आयोग के प्रावधान तथा महिलाओं का इतिहास आदि प्रमुख बिन्दुओं के माध्यम से धारा 376 (ई) के औचित्य पर निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। अन्त में सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए स्थापित संवैधानिक, विधिक तथा कड़े दाण्डिक प्रावधानों की अद्यतन विद्यमान सशक्त प्रावधानों के उपरान्त भी महिलाओं के प्रति "नैतिक और भावनात्मक मनोविज्ञान" स्थापित करने पर जोर दिया गया है।

मुख्य शब्द : ऐतिहासिक, समाज, "नैतिक और भावनात्मक मनोविज्ञान

प्रस्तावना

महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न, शोषण, क्रूरता और बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को रोकने और उनके संवैधानिक, विधिक और दाण्डिक उपचारों पर दृष्टिपात कर अध्ययन से पूर्व महिलाओं के

स्वतन्त्रोत्तर और बाद के काल और युगों के समाज निर्माण में उनके धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी–शिक्षा, चिकित्सा–शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक, कला, संस्कृति, संगीत, गृह, श्रम, अन्तरिक्ष, साहित्यिक क्षेत्र और स्वाधीनता आन्दोलन और अविस्मरणीय योगदान, सामाजिक क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान अविस्मरणीय योगदान एवं अद्वितीय भूमिकाओं का अवलोकन कर गंभीरतापूर्वक संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर उनके गौरवमयी एवं संघर्षपूर्ण इतिहास को सोपान दर सोपान समझना नितान्त आवश्यक है।[1] महिलाओं के इतिहास और गौरवमयी सामाजिक स्थिति को समझने के प्रमुख दो स्रोत माने गये हैं।

प्रथम भाग 'आर्काईवल'

इस भाग के अन्तर्गत सरकारी पत्रावलियों, कार्यालय रिपोर्ट, जनगणना, व्यक्तिगत कागज आदि हैं।

द्वितीय भाग 'नमआर्काईवल'

इस भाग के अन्तर्गत डायरियाँ, संस्मरण, आत्मकथाएँ, उपन्यास, गीत, लोक कथाएँ, चित्र, चलचित्र, लिखित, अलिखित इतिहास और पवित्र अथवा धार्मिक व सामान्य पुस्तकें हैं।

महिलाओं के गौरवमयी इतिहास और सामाजिक स्थितियों को अनेक विद्वानों द्वारा जिन 71 महत्वपूर्ण पुस्तकों और ग्रन्थों के माध्यम से व्यक्त किया है वे पुस्तकें और ग्रन्थ मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं –

1. 'पोजिशन ऑफ वूमेन इन हिन्दु सिविलाइजेशन' लेखक अध्यक्ष काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।[2]
2. 'स्केचेज ऑफ सम डिस्टिंग्युइश्ड इण्डियन वुमेन' जो ई0एफ0 चैपमैन द्वारा लन्दन से प्रकाशित करायी।
3. 'नाइन आइडियल इण्डियन वुमेन' लेखिका सुनीता देवी द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित,
4. 'फेमस वुमैन ऑफ इण्डिया' पूलजॉन द्वारा लिखित 1945 में प्रकाशित
5. एस0 माधवानन्द और आर0सी0 मजूमदार की पुस्तक 'ग्रेट वुमैन ऑफ इंडिया' का अल्मोडा से प्रकाशन हुआ।[2]

महिला इतिहास लेखन की प्रक्रिया 1958 से प्रारम्भ हुई और इसी वर्ष भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने 'वूमैन इन इंडिया' नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया जिसका सम्पादन अली बेग ने किया। इसके बाद निम्नलिखित ग्रन्थ भी महिलाओं के व्यक्तित्व से सम्बन्धित प्रकाशित हुए–

1. 'पायनियर वूमेन ऑफ इंडिया' जिसका प्रकाशन मुम्बई से हुआ और पद्यमिनी सेन गुप्ता ने लिपिबद्ध किया।
2. अप्प दोराय द्वारा सम्पादित ग्रन्थ 'स्टेट्स ऑफ वूमैन इन साउथ ईस्ट एशिया' कलकत्ता से प्रकाशित हुई।
3. जे0सी0 बागल कृत 'वीमेन्स एजुकेशन इन ईस्टर्न इंडिया' भी इस समय में ही कोलकत्ता से प्रकाशित हुई।
4. एम0आर0 बवेजा द्वारा लिखित ग्रन्थ भी 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक 'वुमैन इन इस्लाम' था। इस ग्रन्थ का प्रकाशन हैदराबाद से हुआ।
5. उषा चक्रवर्ती की बंगाली महिलाओं की स्थिति पर लिखित पुस्तक 'कण्डीशन ऑफ बंगाली वूमैन ऐराउंड सेकेण्ड ऑफ नाइन्टीज सेंचुरी' जो कलकत्ता से 1963 ई0 में प्रकाशित हुई।
6. 1964 ई0 में सागर से प्रकाशित ग्रन्थ 'महाभारत में नारी' भी बी0 मावलेकर द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

19वीं शताब्दी में कुछ अन्य प्रकाशित ग्रन्थ जो नारी शक्ति की स्थिति को स्पष्ट करते हैं निम्नलिखित हैं–

1. लंदन से प्रकाशित 'हिन्दु वूमैन एजुकेशन'
2. पूना से प्रकाशित 'दी साइन्टिफिक बेसिस ऑफ वीमेन्स एजुकेशन' लेखक जी0एम0 चिपलूकर।
3. मद्रास (चेन्नई) से प्रकाशित कमला देवी चटोपध्याय की पुस्तक 'अवेकनिंग ऑफ इंडियन वुमेनहुड'
4. राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं के योगदान एवं नारी जागरण को ध्यान में रखकर ए0आर0 अय्यर ने मद्रास से एक पुस्तक प्रकाशित कराई जिसका शीर्षक था 'ऐनी बेसेण्ट एण्ड हर वर्क इन इंडिया'
5. स्वयं ऐनी बेसेन्ट द्वारा इस अवधि में 5 ग्रन्थों को लिपिबद्ध किया – (1) 1991 ईसवी में लन्दन से प्रकाशित 'एन ऑटो बायोग्राफी' (2) 1913 में मद्रास (चेन्नई) से प्रकाशित 'वेक अप इण्डिया' (3) 1913 ई0 में ही 'हाउ इंडिया रॉट हर फ्रीडम' का प्रकाशन लन्दन से (4) 1921 ई0 में 'इंडिया बॉण्ड ऑफ फ्री' लन्दन से प्रकाशित हुआ (5) 1922 ई0 में 'फ्यूचर ऑफ इंडियन पोलिटिक्स' का प्रकाशन लन्दन से हुआ।

साहित्यावलोकन

महिलाओं की स्थिति एवं तत्कालीन समाज में होने वाली सामाजिक गतिविधियों की जानकारी हमें निम्नलिखित अन्य ग्रन्थों से भी प्राप्त होती है जिनका प्रकाशन समय–समय पर होता रहा है –

1815 ई0 में जे0कार मेकन की पुस्तक 'एकाउण्ट्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ फीमेल इनफेन्ट्रीसाइड इन गुजरात' का प्रकाशन 2. 1887 ई0 में 'पंडिता रमा बाई की पुस्तक 'दी हाई कास्ट हिन्दू वूमैन' प्रकाशित 3. 1896 ई0 में आई0बी0 टर्नर की पुस्तक 'वूमैन अण्डरप्रीमिटि बुद्धिज्म' का प्रकाशन, 4. 1903 ई0 में मनोरमा बाई द्वारा लिखित पुस्तक 'पण्डिता रमा बाई दी विडोज फ्रेन्ड' का प्रकाशन, 5. 1931 में बड़ौदा की महारानी की पुस्तक 'दि पोजिशन आफ वुमैन' प्रकाशित 6. 1912 ई0 में डॉ0 जे0डी0 मिश्रा कृत पुस्तक 'दि एजुकेशन वूमैन इन इंडिया' का लन्दन से प्रकाशन 7. 1920 ई0 में एम0एल0वी0 फुलर की पुस्तक 'दी ट्रायम्फ ऑफ इन इण्डियन विडो' का न्यूयार्क से प्रकाशन 8. 1922 ई0 की सुल्तान जहाँ बेगम द्वारा लिखित पुस्तक 'हल हिजाब' तथा अंग्रेजी में ' पर्दा इज नेसेसरी' का कलकत्ता से प्रकाशन 9. 1922 ई0 दि मार्गरेट कजिन्स की पुस्तक 'द एवेकनिंग ऑफ एशियन वुमैनहुड' प्रकाशित 10. 1930 में मुतुलक्ष्मी रेड्डी की पुस्तक 'माई एक्सपीरियन्स एज इ लेजिस्टलेटर' मद्रास (चेन्नई) से प्रकाशित 11. 1932 ई0 में एफ0 हैन्सटिथ की पुस्तक 'दी स्टेटस ऑफ इंडियन वूमैन' का लन्दन से प्रकाशन 12. 1936 ई0 में के0के0 दत्ता द्वारा लिखित पुस्तक 'एजुकेशन एण्ड सोशल एमीलिओरेशन

ऑफ वुमैन इन प्रिमिटिव इण्डिया' का प्रकाशन 13. 1936 ई0 में प्रकाशित टी0एस0 राजगोपाल की पुस्तक 'इण्डियन वमैन इन द न्यू`ज' का प्रकाशन 14. 1938 ई0 में रमा बाई राणा डे की पुस्तक 'दि आटोबायोग्राफी ऑफ दि हिन्दू लेडी' का न्यूयार्क से प्रकाशन 15. 1939 ई0 में विजय लक्ष्मी पंडित लक्ष्मी की पुस्तक 'सो आई बीकेम ए मिनिस्टर' इलाहाबाद से प्रकाशित 16. 1940 ई0 में इन्द्र ने अपनी पुस्तक 'दि स्ट्टेस आफ वुमैन इन एंशियण्ट इण्डिया' लाहौर से प्रकाशित कराई। 17. 1941 ई0 में एम0डब्ल्यू0 पिंकबम की पुस्तक 'वुमैन इन सैक्रेड स्क्रिपचर्स ऑफ हिन्दूज्म' का प्रकाशन 18. 1942 ई0 में पी0बी0 गजेन्द्रगडकर की पुस्तक 'लीगल राईटस ऑफ हिन्दू वुमैन' बम्बई से प्रकाशित 19. 1943 ई0 में एस0 चटराजन की पुस्तक 'ए सेंचुरी आफ सोशल रिफार्म इन इंडिया' का मुम्बई से प्रकाशन 20. 1944 ई0 में बी0एस0 गुजराती ने 'वुमैन ऑफ ईस्ट एण्ड बेस्ट' का सम्पादन किया 21. 1944 ई0 में ही लक्ष्मी मेनन की पुस्तक 'द पोजीशन ऑफ वुमैन' का लंदन से प्रकाशन 22. 1946 ई0 में राजकुमारी अमृत कौर की पुस्तक 'चैलेंज टू वुमैन' का इलाहाबाद से प्रकाशन 23. 1946 ई0 में ए0टी0 हिन्गोरानी द्वारा सम्पादित मोहनदास कर्मचन्द गांधी के भाषणों का संकलन प्रकाशित 24. 1947 ई0 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक 'वुमैन एण्ड सोशल इन जस्टिस' का अहदाबाद से प्रकाशत 25. 1948 ई0 में सी0ए0 टेंट की पुस्तक 'हिन्दू वूमैन एण्ड हर फ्युचर' का मुम्बई से प्रकाशन। 26. 1949 ई0 में कल्पना दत्ता की पुस्तक 'चिटगाँव आयर्स रिमिन्सेन्सज' कलकत्ता से प्रकाशित। 27. 1953 ई0 में विवेकानन्द द्वारा लिखित पुस्तक 'अवर वुमैन' का प्रकाशन 28. 1956 ई0 में रानी लक्ष्मीबाई राजवाडे की पुस्तक 'ए ट्रिब्यूट टू मार्गेट काजिन्स' का मद्रास (चेन्नई) से प्रकाशन। 29. 1957 ई0 में नीरा देसाई के शोध प्रबन्ध 'वुमैन इन मार्डन इंडिया' शीर्षक के अन्तर्गत मुम्बई से प्रकाशन। 30. 1959 ई0 में गाँधी जी द्वारा लिखित और आर0के0 प्रभु द्वारा सम्पादित पुस्तक 'वुमन्स रोल इन सोसाइटी' अहमदाबाद से प्रकाशित। 31. 1960 ई0 में एस0आर0 शास्त्री की पुस्तक वुमैन इन द वैदिक ऐज' का दिल्ली से प्रकाशन 32. 1960 में ही रंगनाथानन्द की पुस्तक 'दी इण्डियन आइडिल ऑफ वुमनहुड' कलकत्ता से प्रकाशित। 33. 1960 ई0 में ही पदमनि सेन गुप्ता की पुस्तक 'वुमैन वर्कर्स ऑफ इंडिया' का प्रकाशन 34. 1962 ई0 में आर0एस0 दास कृत 'वुमैन इन मनु एण्ड हिज सेवन कमेण्टेटर्स' का वाराणसी से प्रकाशन, 35. 1965 ई0 में एल0 क्रिस्टोफर की पुस्तक 'वुमैन ऑफ चाइना' का हांगकांग में प्रकाशन 36. 1965 ई0 में एस0 श्रीदेवी की पुस्तक 'ए सेन्चुरी ऑफ इण्डियन वुमैनहुड' का मैसूर से प्रकाशन 37. 1967 ई0 में प्रो0 रेखा मिश्रा की पुस्तक 'वुमैन इन मुगल इण्डिया' का दिल्ली से प्रकाशन 38. 1968 ई0 में सीता राम सिंह की पुस्तक 'नेशनलिज्म एण्ड सोशल रिफोर्म' का दिल्ली से प्रकाशन 39. 1969 ई0 में राजेन्द्र गडकर की पुस्तक 'स्टेटस ऑफ वुमैन इन हिन्दू लॉ' का प्रकाशन 40. 1969 ई0 में ही मनमोहन कौर कृत शोध ग्रन्थ 'रोल आफ वूमैन इन फ्रीडम मूमेंट' का प्रकाशन 41. 1969 ई0 में ही श्री बी0सी0 लॉ की पुस्तक 'ग्रेट वुमैन ऑफ इंडिया' का प्रकाशन 42. 1969 ई0 में ही जे0एस0 मिल की पुस्तक 'द सब्जेक्शन आफ वुमैन' प्रकाशित 43. 1969 ई0 में ही एस0 श्रीदेवी की पुस्तक 'गाँधी : दी इमेन्सपेटर ऑफ इण्डियन वुमैन' का हैदराबाद से प्रकाशन 44. 1970 ई0 में एस0 सेन गुप्ता की पुस्तक 'ए स्टडी ऑफ वुमैन' का कलकत्ता से प्रकाशन। 45. 1970 ई0 को आर0 मेहनता की पुस्तक 'दी वेस्टर्न एजुकेटेड हिन्दू वुमैन' का मुम्बई से प्रकाशन 46. 1970 ई0 में ही भारत की प्रथम महिला कुलपति हंसा मेहता की पुस्तक 'दी वुमैन अन्डर हिन्दू लॉ आफ मैरिज एण्ड सक्सेशन' प्रकाशित 47. 1974 ई0 में प्रो0 डॉ0 प्रतिमा अस्थाना की पुस्तक 'वुमैन्स मुमेण्ट' इंडिया पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से प्रकाशित 48. 1887 ई0 में बी0एम0 मालाबारी की पुस्तक 'इन्फैन्ट मैरिज एण्ड एनफोसर्ड विडोहुड इन इंडिया' का मुम्बई से प्रकाशन 49. 1888 ई0 में जॉन मुरडो की पुस्तक 'दी वुमैन आफ इण्डिया एण्ड व्हाट कैन वी डन फॉर दैम' लन्दन से प्रकाशित 50. सी0डी0 हेलन की पुस्तक 'पंडिता रमाबाई' शीर्षक से लन्दन से प्रकाशित 51. डब्लू0डब्लू0 हण्टर की पुस्तक 'ए लेडी लेक्चरर इन इंडिया' प्रकाशित 52. जे0ए0 नेल्सन की पुस्तक 'स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ सरोजिनी नायडू' प्रकाशित 53. श्याम कुमारी नेहरू की पुस्तक 'ऑवर कॉज' प्रकाशित 54. एल0 गणपति की पुस्तक 'एस्टेट ऑन प्रमोशन ऑफ डैमैस्टिक रिफार्म अमन्ग द नेटिव्स ऑफ इंडिया' प्रकाशित 55. सी0एम0 बुलस्टोन की पुस्तक 'द राईटस ऑफ वुमैन' प्रकाशित।

उपरोक्त पुस्तकों और ग्रन्थों के अतिरिक्त डॉ0 के0एल0 खुराना एवं डॉ0 एस0 एस0 चौहान द्वारा लिखित पुस्तक "भारतीय इतिहास में महिलायें" में विभिन्न युगों और कालों में उनके इतिहास और गौरवमयी सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है।

अध्ययन का उद्देश्य

सामूहिक बलात्कार के अपराधी पर धारा 376(ई) के अन्तर्गत निर्धारित मृत्युदण्ड की विधि सम्मत समीक्षा कर इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि क्या मृत्युदण्ड के अतिरिक्त उसके वैकल्पिक दण्ड के रूप में आजीवन कारावास दिया जाना समाज में स्थाई प्रभाव छोड़ने में सफल है? दूसरा क्या धारा 376(ई) के अन्तर्गत आने वाला अपराध पूर्व घोषित "विरल से विरलतम" अपराध की श्रेणी में रखा जाना उचित है? धारा 376 की संशोधित धारा 376(ई) की नारी के मर्यादित अस्तित्व को रौंदते हुए अमानुषिकता की पराकाष्ठा को लांघने की परिणति है।" इसके साथ–साथ महिलाओं के प्रति "नैतिक और भावनात्मक मनोविज्ञान" स्थापित करने को सामूहिक बलात्कार रोकने में महत्वपूर्ण मानते हुए जोर दिये जाने का उद्देश्यपूर्ण प्रयास किया गया है। इस तथ्य को आगे बढ़ाते हुए सिद्ध करना है कि संपूर्ण संवैधानिक, विधिक तथा दाण्डिक प्राविधानों की उपस्थिति में भी महिलओं के प्रति "नैतिक और भावनात्मक मनोविज्ञान" स्थापित करने की उद्देश्यपूर्ण आवश्यकता हैं।

प्रागैतिहासिक काल में महिलाओं की स्थिति[3]

सभ्यता का सुप्रभात सिंधु सभ्यता के काल से माना जाता है। इस काल में नारी और पुरूष दोनों को समाज में समान अधिकार प्राप्त थे। दोनों गृह कार्य और

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-9* May- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

वाह्य कार्यों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से भाग लेते थे। नारी के प्रजनन शक्ति के कारण ही सिन्धु समाज मात्र सतात्मक था और सृजनात्मक शक्ति के रूप में उसका आदर किया जाता था। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी जो मिर्जापुर में है, खुदाई में प्राप्त नारी प्रतिमा का विश्लेषण करते हुए सांकलिया ने उल्लेख किया है कि निश्चय ही यह नारी प्रतिभा एशिया और यूरोप में मान्यता प्राप्त आदिकालीन सृजनात्मक मात्र देवी के समान प्रतीत होती है। सिंधु क्षेत्र में की गई खुदाई का श्रेय प्रोफेसर आर0डी0 बनर्जी, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी आदि पुरातत्वविदों को प्रदान किया जाता है। इनके प्रयासों के कारण ही उत्खनन के फलस्वरूप कई मृण मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं जिनमें कुछ मूर्तियों के उदर व वक्ष पर्याप्त उभरे हुए हैं जो उसकी सृजनात्मक शक्ति के प्रतीक कहे जा सकते हैं। उत्खनन में प्राप्त नृत्यागंकन की कांस्य प्रतिमा के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि इस युग की महिलायें नृत्य कला में भी निपुण थी। उत्खनन में प्राप्त हुई विभिन्न मोहरों पर भी नारी चित्र उत्कीर्ण हैं। एक मोहर पर नारी गर्भ में वनस्पति का जन्म होते हुए प्रदर्शित किया गया जिससे अनुमान लगाया है कि मात्र देवी मानव के साथ–साथ वनस्पति पशु की भी जन्मदात्रि थी। उर्वरता की देवी के रूप में भी मात्र देवी को मान्यता प्राप्त थी। अतः यह स्पष्ट है कि प्रागैतिहासिक काल में समाज में नारी को सम्माननीय स्थान प्राप्त था और उसे कई मामलों में पुरूषों से भी उच्च स्थान प्राप्त था।

वैदिक काल में महिलाएँ

वैदिक काल भी स्त्रियों के आदर और सम्मान का युग था। उन्हें गृहस्वामिनी, अर्द्धांगिनी, ब्रहमवादिनी, मंत्रदृष्टा, उपाध्याया, सद्योवाहा आदि सम्मानित नामों से सम्बोधित किया गया है। यही नहीं वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाओं में अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी।

डॉ0 आर0सी0 मजूमदार ने भी लिखा है कि "परिवार में उसका स्थान आदरणीय था। दम्पत्ति शब्द का प्रयोग गृह स्वामी और गृह स्वामिनी दोनों के लिए किया जाता था।" कन्या के रूप में गायों की देखभाल का दायित्व उसे प्राप्त होने के कारण उसे सम्मान के रूप में 'दुहिता' भी कहा जाता था।

बौद्धिक काल में महिलायें

वैदिककाल यदि महिलाओं के सम्मान और उत्थान का काल था तब उत्तर वैदिक काल भले ही उनके पतन का युग रहा हो परन्तु फिर भी माता के रूप में अभी भी समाज में महिलाओं का आदर किया जाता था। उपनिषद काल में भी नारी को समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त था इस युग की विदुषी महिला गार्गी थी। गर्ग गोत्र में जन्म होने के कारण वह गार्गी के नाम से प्रख्यात हुई। उसने अपना संपूर्ण जीवन अध्ययन और आध्यात्मिक चिंतन में व्यतीत किया था। इस काल की अन्य महिलाओं में कात्यायनी और मैत्रयी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया तथा धार्मिक अधिष्ठानों में भाग लिया। वृहदारण्य उपनिषद में गार्गी के याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करने का भी वर्णन मिलता है। धर्मग्रन्थों में उसका विद्वता का उल्लेख मिलता है। स्पष्ट है कि उपनिषद काल में महिलाओं को शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में पूर्ण सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी।

जैन धर्मकाल में महिलायें

जैन साहित्य के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण महिलाओं का वर्णन मिलता है। इनमें महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो वैशाली की लिच्छविराज कुमारी व राजा चेटक की बहिन थी। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा, कलिंग के शासक की पुत्री व उसकी बहन सुदर्शना व पुत्री प्रियदर्शनी और सोलह सतियों में मृगवती का नाम उल्लेखनीय महिलाओं में गिना जाता है। महावीर स्वामी के कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनसे सर्वप्रथम दीक्षा लेने वाली राजा चेटक की कन्या पदमावती की पुत्री थी। अतः स्पष्ट है कि जैन साहित्य में भी कई विदुषी और योग्य महिलाओं का वर्णन यह प्रमाणित करता है कि इस युग में महिलाओं को आदर व सम्मान प्राप्त था।

बौद्ध धर्मकाल में महिलायें

बौद्ध धर्म के साहित्य में भी सिद्धार्थ की माता के निधन के पश्चात् उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी का वर्णन मिलता है जिसने उनका पालन पोषण किया था। जिसने कालान्तर में बौद्ध भिक्षुणी के रूप में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसकी गणना तपस्विनी नारियों में की जाने लगी थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों को सम्मिलित किये जाने के बाद कुछ महिलाओं ने थेरिगाथा जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं का मान–सम्मान और उच्च स्तर बौद्धकाल में भी स्थापित रहा है।

मौर्यकाल में महिलायें

मौर्यकाल से पूर्व स्त्रियों की दशा में पर्याप्त सुधार हो गया था। उनकी क्षमता और योग्यता के कारण उन्हें प्रशासनिक सेवा में स्थान दिया गया। उन्हें सम्राट की अंगरक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। वे खुले दरबार में शस्त्रों से सुसज्जित होकर सम्राट के पीछे पूर्णतः चैतन्य खड़ी रहती थी। अनेक धनवान महिलायें अपनी उदारता के कारण मंदिरों, चैत्यों, मठों, व वस्तुओं के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती थी जिनके साक्ष्य आज भी संग्रहालयों में प्राप्त हैं। कुछ महिलाओं ने विशाल बाग लगवाये और कालान्तर में उन्हें बौद्ध और जन साधकों को दान में दे दिया। इससे पता चलता है कि महिलायें समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझती थी और उसे निभाने के लिये कटिबद्ध थी। कई वैश्य परिवार की धनवान महिलाओं ने लोकहित को दृष्टि में रखकर कुएँ, बावडी, तालाब और विश्राम गृहों का निर्माण कराया। वस्तुदान में वैश्य समाज की महिलायें सदैव अग्रणी बनी रहीं।

कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में महिलाओं को आर्थिक रूप में सक्षम व सम्पन्न बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। मौर्यकाल में महिलाओं के सम्मान की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि सम्राट के रत्निन में राजमहिषी भी थी। सम्राट को सिंहासन पर आसीन होने से पूर्व स्वयं उसके पास जाकर अनुमति प्राप्त करनी होती थी।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-9* May- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

गुप्तकाल में महिलायें

गुप्तकाल धनधान्य से परिपूर्ण समृद्ध युग था। इस काल में भी महिलाओं को आदर व सम्मान प्राप्त था। गुप्त शासक अपनी पत्नियों का सम्मान करते थे। चन्द्रगुप्त प्रथम के सिक्कों से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है क्योंकि उसके सिक्कों पर सम्राट के साथ–साथ उसकी पत्नी लिच्छवि रानी का चित्र भी उत्कीर्ण था। इस युग में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध कर दिया जाना महिलाओं के सम्मान का सबसे बड़ा परिचायक है। महिलाओं ने इस युग में अपने विशुद्ध आचरण और व्यवहार से पुरातन परम्पराओं को सजीव बनाये रखा।

राजपूत युग में महिलायें

इस काल में सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या और जौहर आदि जैसी कुप्रथाओं में महिलाओं की स्थिति भले ही उत्तरोत्तर पत्तोन्नमुख होती गई तथापि इस काल में अनेक बहादुर वीरांगनाओं के शौर्य का उल्लेख मिलना इस बात का परिचायक है कि इस युग की विषम परिस्थितियों में भी उन्हें किसी न किसी विशिष्टता के कारण सम्मान प्राप्त था।

मध्ययुग में महिलायें

मध्य युग में भक्तों, संतों और मुस्लिम सूफी सन्तों के प्रयासों से महिलाओं की दशा में सुधार हुआ। निःसन्देह इस युग में मीराबाई जैसी आदर्श महिला को भी भले ही सम्मान की दृष्टि से अपेक्षाकृत आदर भले ही न मिला हो लेकिन कृष्ण भक्ति में लीन होकर, सुन्दर भजनों को लिखकर वह अमरत्व प्राप्त कर गयी और सम्मानित हुई। उदार अकबर के शासनकाल में गुलबदन बेगम जैसी शिक्षित महिला ने हुमायूँनामा की रचना करके समाज में प्रतिष्ठित महत्त्व प्राप्त किया। अकबर ने भी महिलाओं को सम्मान देने की सोच रखकर कानून बनाये। उसने सती प्रथा पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास किया तथा मुसलमानों को चार विवाह न करने का भी निर्देश दिया और उसकी कुछ कठोर शर्तें भी लगाई। हिन्दु और मुसलमान दोनों अपनी रूढ़ियों के कारण इन पुरातन परम्पराओं को त्यागना नहीं चाहते थे तथापि यह स्पष्ट है कि मुगलकाल में हिन्दु और मुस्लिम दोनों सम्प्रदाय की महिलाओं को सम्मान की स्थिति प्राप्त हुई।

महिलाओं के जीवन पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव[4]

पुनर्जागरण काल भले ही पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित रहा हो परन्तु उसकी जड़ें वैदिक संस्कृति से जुड़ी रहीं। सुधारकों का मुख्य उद्‌देश्य उन सामाजिक परिवर्तनों को अमलीजामा पहनाना था जिससे देश व समाज का हित हो सके जिसके लिए उन्होंने तर्क और विज्ञान को अपना आधार बनाये रखा और महिलाओं के जीवन में सुख और शांति को संचारित किया।

भक्तिकाल की प्रमुख महिलायें [5]

भक्तिकाल में चाहे मीराबाई, केदिया कौंदी (आंडाल), सहजो बाई, दयाबाई, समना बाई, मुक्ता बाई, जना बाई, इन्द्रामती व गबरी बाई, व इनके अतिरिक्त बदाबाई, बहिना बाई, महारानी सना कुंवरी, वृषभान कुंवरी बनीठनी, रानी बांकडवती, दतिया राज्य की रानी बख्तकुँवरि, बावरी साहिब, ताज बीबी, जोधपुर निवासी बौरा, छत्र कुंवरि बाई, बीबी रत्नी कुँवरि, चन्द्र सखी, पजन कुँवरि, मधुर अली और प्रेम सखी आदि ने विश्व और राष्ट्र को एक अद्वितीय धार्मिक चिन्तन को साहित्यिक आयाम देने में अद्वितीय योगदान दिया है।

बीसवीं व इक्कसवीं सदी का मिश्रित काल[6]

इस काल को भी महिलाओं ने चाहे उनमें संघमित्रा, ध्रुवस्वामिनी, प्रभावती, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, नूरजहाँ बेगम, सरोजिनी नायडू, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेश्कर, सोनिया गाँधी, कस्तूबरा गाँधी, महारानी लक्ष्मी बाई, ऐनी बेसेंट, सुनीता विलियम्स, पी0टी0ऊषा, भारत की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष समुत्रि महाजन, प्रथम महिला डॉक्टर कादम्बिनी (1886), प्रथम मिस वर्ल्ड रीता फारिया पॉवेल (1966), प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा (1979), प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी (1966 – 1977), प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल (2007–2012), प्रथम महिला अन्तरिक्ष यात्री कल्पना चावला (1997), वर्ष 1972 की प्रथम महिला आई0पी0एस0 किरण बेदी (जो 2003 में युनाईटेड नेशन्स में पुलिस एडवाइजर भी बनी), प्रथम महिला पॉयलेट अकेले विमान उडाने वाली (1994), प्रथम महिला ओलम्पिक पदक विजेता मुक्केबाज मेरी कॉम (2012), प्रथम महिला बाइकर रोशनी शर्मा (कन्याकुमारी से श्रीनगर तक), भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम0 फातिमा बीबी (1989), पाकिस्तान की सीनेटर (सांसद) बनने वाली सिन्ध प्रान्त की प्रथम हिन्दू दलित महिला 39 वर्षीय कृष्णा कुमारी कोली (2018)[7], पाकिस्तान की सीनेटर (सांसद) बनने वाली प्रथम सामान्य हिन्दु महिला रत्ना भगवानदास चावला (2006–2012), [8]प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 2018 में 8 भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित महिलाओं में जिन्दल ग्रुप की सावित्री जिन्दल जिनकी कुल सम्पत्ति 8.8 अरब डालर है ओर जिन्होंने विश्व सूची में 176वाँ स्थान प्राप्त किया है, बॉयकोन की मुखिया किरण मजूमदार शॉ दुनिया की सबसे अमीर दूसरी भारतीय महिला (सेल्फमेड) हैं जिनकी कुल सम्पत्ति 3.6 अरब डॉलर है जिनका विश्व सूची में 629वाँ स्थान है, गोदरेज औद्योगिक क्षेत्र की स्मिता कृष्णा गोदरेज जिनकी कुल सम्पत्ति 2.9 अरब डॉलर है और जिनका विश्व सूची में 822वाँ स्थान है, यू0एस0वी0 इंडिया की प्रमुख रीना तिवारी जिनकी कुल सम्पत्ति 2.4 अरब डॉलर है और विश्व सूची में 1020वें स्थान पर है, थर्मेक्स कम्पनी की अनु आगा जिनकी कुल सम्पत्ति 1.4 अरब डॉलर है और जिनका विश्व सूची में 1650वें स्थान पर है, और शीला फोरम की संस्थापक शीला गौतम जिनकी कुल सम्पत्ति 1.1 अरब डॉलर है और विश्व सूची में 1999वाँ स्थान है का नाम सम्मिलित होना सिद्ध करता है कि महिलाओं ने बहुत ही मान–सम्मान और महान ऐतिहासिकता के साथ अपने हर क्षेत्र के जीवन को जीया है और जी रही हैं तथा समाज व राष्ट्र को प्रतिष्ठित कर रही हैं।

इस प्रकार सिद्ध होता है कि चाहे प्रागैतहासिक काल रहा हो, चाहे वैदिक काल, बौद्धिक काल, जैन धर्म काल, बौद्ध धर्म काल, मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल,चाहे मध्य काल युग रहा हो अथवा पुनर्जागरण

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-9* May- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

काल तथा भक्तिकाल और चाहे आधुनिक काल, महिलाओं को सदैव शक्ति और सम्मान प्राप्त रहा है और महिलाओं ने अट्ठारहवीं शताब्दी के भारतीय जागरण काल में प्रवेश करने तक सम्मान प्राप्त करने के पश्चात् अनेक भूमिकाओं का निर्वहन किया। अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि इन सभी कालों में महिलायें ने न केवल अपना सम्मान अपितु शिक्षा, सामाजिक स्तर, स्वतंत्र विचार और आर्थिक स्वतंत्रता आदि कुछ खो देने के पश्चात् भी समय–समय पर उदित अच्छी धार्मिक विभूतियों, राजाओं और महान सम्राटों की सुशासन नीतियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतांत्रिक सरकारों के स्थापित होने के परिणाम स्वरूप महिलाओं को सम्मान प्राप्त रहा है।

महिलाओं द्वारा प्राचीनकाल से ही कला व संगीत तथा चित्रकला एवं वास्तुकला और मूर्ति कला के क्षेत्र में अद्वितीय तथा अविस्मरणीय भूमिकाओं का निर्वहन आधुनिक युग तक किया जाता रहा है और उनके सम्मान में निरन्तर स्वीकार्यता की सम्मानजनक स्थिति विद्यमान है।

नारी कल्याण के उत्थान हेतु महत्वपूर्ण अधिनियम पारित

भारत सरकार को महिलाओं के बहुआयामी व्यक्तित्व को देखते हुए भारतीय संविधान में समय–समय पर संवैधानिक परिवर्तन कर निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिनियम अस्तित्व में लाने पड़े[9]–

कन्या शिशु हत्या अधिनियम 1796 ई0

इसमें रेगुलेशन संख्या XXI पारित किया गया और तदानुसार 1804 ई0 में रेगुलेशन संख्या III पारित हुआ। 1870 ई0 में एक अधिनियम VII पारित किया गया ताकि शिशु हत्या पर अंकुश लगाया जा सके।

सती निषेध अधिनियम 4 दिसम्बर 1929 ई0

लार्ड बेन्टिंग ने इस सम्बन्ध में 4 दिसम्बर 1829 ई0 को रेगुलेशन संख्या XVII पारित कराया और इसके माध्यम से सती होने के प्रयास अथवा उसमें सहायता करने वाले के विरूद्ध हत्या के अपराध में कार्यवाही की व्यवस्था की।

विधवा पुर्निविवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 ई0

इसके अन्तर्गत विधवा महिलाओं को उत्पीड़न, शोषण का शिकार होने से राहत प्रदान करने का उद्देश्य निहित है। भले ही कुछ सामाजिक बाधाओं और अवरोधों के फलस्वरूप इसको कार्यान्वित करना संभव नहीं हो सका तथापि इन अधिनियमों से महिलाओं के जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन आये। समाज और महिलाओं में चेतना का संचार हुआ और महिलाओं के विकास और उत्थान का मार्ग उन्मुख हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत विधवा महिलाओं में चेतना और विकास का संचार हुआ और उनके उत्थान का मार्ग उन्मुख हुआ।

विवाह अधिनियम 1860 ई0

यह प्रथम विवाह संशोधन अधिनियम पास हुआ। पुनः 1891 ई0 में इस कानून में संशोधन करके विवाह की आयु कम से कम 12 वर्ष निर्धारित की गई। 1925 ई0 में पुर्नविवाह की आयु के सम्बन्ध में संशोधन कर आयु 13 वर्ष निश्चित की गई। 1929 ई0 में बाल–विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ जो शारदा एक्ट के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसके अनुसार कन्या व वर की आयु क्रमशः 14 और 18 सुनिश्चित की गई पुनः 1955 ई0 में हिन्दु विवाह अधिनियम पारित कर कन्या व वर की आयु 15 व 18 वर्ष की गई। वर्तमान में यह आयु सीमा 18 व 21 वर्ष सुनिश्चित है।

सम्पत्ति अधिनियम 1874 ईसवी

महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु एक एक्ट "मैरीड वुमेन प्रोपर्टी एक्ट" पारित किया गया। 1929 ईसवी में इसमें संशोधन करके इसे "हिन्दू लॉ ऑफ इन्हेरिटेन्स एक्ट" नाम दिया गया। 1937 ई0 में "हिन्दू वूमेन्स राईट टू प्रोपर्टी एक्ट" पारित किया गया। 1956 ई0 में पारित "हिन्दू सक्सेशन एक्ट" के अनुसार अंततः महिलाओं को पुरूषों के समान सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया गया।

महिला श्रम अधिनियम

महिलाओं के कारखानों में कार्य करने की 11 घंटे सीमा सुनिश्चित कर दिये जाने के पश्चात् 1934 ई0 में इसे घटाकर 10 घंटे किया गया और 1948 ई0 में और घटाकर 8 घंटे अर्थात् सप्ताह में 48 घंटे कर दिया गया। 1943 ई0 में अंग्रेजी शासन के दौरान कार्यरत महिलाओं का प्रजनन लाभ से सम्बन्धित अधिनियम पारित किया गया और उन्हें 4 सप्ताह का अवकाश दिया जाना सुनिश्चित किया गया। यह लाभ कम से कम 9 माह का कार्य करने का अनुभव रखने वाली महिलाओं को ही दिया गया। लेकिन 1945 में इसमें संशोधन करके महिलाओं को खान के अन्दर जाकर कार्य करना वर्जित किया गया।

महिला कल्याण सम्बन्धी कार्य[10]

उपरोक्त अधिनियम अस्तित्व में आ जाने के पश्चात् सरकार द्वारा निम्नलिखित महिला कल्याण कार्य किये गये–

1. उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और निराश्रित कन्याओं के विवाह हेतु 10 हजार रूपये का अनुदान इस शर्त पर देना प्रारम्भ किया कि कन्या की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को 11000/– रूपये का पुरस्कार देने की योजना इस प्रतिबन्ध के साथ प्रारम्भ की महिला की आयु 35 वर्ष से कम हो और तहसीलदार द्वारा इस सिफारिश की गई हों।
3. 1000/– रूपये से कम मासिक आमदनी वाली महिला को दहेज पीड़ित मुकदमा लड़ने के लिए आर्थिक व कानूनी सहायता प्रदान किया जाना।
4. 1956 ई0 के अनैतिक देह व्यापार निरोधक नियम स्थापित किये गये। सम्बन्धित महिलाओं के पुनर्वास के लिए 15000/– रूपये अनुदान के रूप में दिया जाना सुनिश्चित किया गया। साथ ही साथ उन्हें गृह विज्ञान से सम्बन्धित शिक्षा, सिलाई, बुनाई के प्रशिक्षण के साथ–साथ संरक्षण गृह भी उपलब्ध कराया गया।
5. भारतीय दण्ड संहिता सं0 45, 1860 की धारा 187 में दहेज अपराध माना गया। मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की गई।
6. राष्ट्रीय महिला आयोग ने 1997–98 में घरेलू हिंसा बिल का प्रारूप तैयार किया जो सन् 2001 में संसद में पेश किया गया। भारत में महिला कल्याण से

सम्बन्धित कार्यों का प्रारम्भ औपनिवेशिक युग में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रारम्भ हो गया था।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं को उपरोक्त विभिन्न कालों और युगों में प्राप्त सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक सम्मान में ह्रास की शंका को देखते हुए वर्तमान में भारत सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं उसमें नवीन शक्ति व स्फूर्ति जागृत करने के लिए महिला सशक्तिकरण की योजना को जागृत किया है ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार नवीन उपलब्धि अर्जित कर सकें, घर की उचित व्यवस्था करने के साथ–साथ देश और पयार्रवरण आदि सभी क्षेत्रों में अपनी भागीदारी को अनुभवशीलता के साथ आगे बढ़ा सकें।[11]

1975 ईसवी को महिला वर्ष के से जाना जाता है। इस वर्ष में महिलाओं में जागृति उत्पन्न करने तथा उत्थान की दिशा में निरन्तर कार्यक्रम चलते रहे। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाने और आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में युगों–युगों से अर्जित उनके सम्मान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आवश्यक समझा गया है। 20वीं शताब्दी के मध्य में इस दिशा में किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप 2001 ईसवी में अन्तर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण काल के रूप में हमारे सम्मुख आया है। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के मध्य गांधी जी ने भी कहा था कि नारी को अबला कहना अधर्म है वह महापाप है जो "नारी के विरूद्ध पुरूष द्वारा किया जा सकता है। नारी को किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। उसके पास अथाह शक्ति है वह किसी से भी कम नहीं है।"

महिलाओं के सर्वांगीण विकास की स्थिति पर मानव अधिकार आयोग का दृष्टिकोण

मानव अधिकार आयोग की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा महिलाओं की परिस्थिति पर आयोग की स्थापना 1946 में की गई थी।[12] आयोग की सदस्यता आरम्भ में 15 थी जिसको 1961 में बढ़ाकर 21 कर दी गई। आयोग में 1991 से 45 सदस्य हो गये हैं। आयोग वर्ष में 3 सप्ताह के दो बार वियना में, सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की समानता के प्रति उन्नति का परीक्षण करने के लिए बैठक करता है। आयोग का प्राथमिक कार्य महिलाओं के आर्थिक, राजनैतिक, सिविल, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में अधिकारों की अभिवृद्धि के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को सफारिश करना तथा रिपोर्ट तैयार करना है। यह महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में ध्यान देने की समस्याओं के विषय में सिफारिश करता है। यह उल्लेखनीय है कि आयोग विधि एवं व्यवहार में महिलाओं की परिस्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से अनुशंसा को प्रभावी बनाने के लिये संबंधित संधियों के प्रारूप तैयार करता है।

आयोग का दृढ़ विश्वास के साथ यह मानना है कि महिलायें किसी भी क्षेत्र में तब तक उन्नति नहीं कर सकती है, जब तक वे पुरूषों के साथ निर्णय करने के अधिकारों में भाग नहीं लेती और इसी मान्यता के साथ, आयोग ने 1949 में "महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों के अभिसमय" पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। यह कथित अभिसमय, जो महिलाओं के अधिकार के सम्बन्ध में प्रथम विधिक लिखित था, महासभा द्वारा वर्ष 1952 में अंगीकार किया गया। सम्बन्धित महिला आयोग 1979 में महासभा द्वारा महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति हेतु अभिसमय को अंगीकार करने में भी बहुत लाभदायक साबित हुआ। आयोग ने विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर अभिसमय को तैयार करने का भी भरसक प्रयास किया, जिसको महासभा द्वारा 1957 में अंगीकार किया गया। उपर्युक्त के अतिरिक्त आयोग ने ऐसे बहुत से विषयों पर प्रभाव डाला है जो महिलाओं के दूरगामी विकास, परिवार नियोजन, पूर्ण शिक्षा एवं आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के क्षेत्र में उनकी भूमिका से सम्बन्धित हैं।

राजीव कुमार द्वारा "बलात्कार के लिए मृत्युदण्ड" विषय पर शोध कर बताया गया कि बलात्कार के सम्बन्ध में यह मिथक कि स्त्रियाँ अपनी वेशभूषा और अपने असंयमित अथवा अनियंत्रित व्यवहारिकता से बलात्कारी को भड़काती हैं।[13] यह मिथक एक निराधार विकृत तर्क है जिसे उन्होंने निरस्त किया। उन्होंने आगे बताया कि बलात्कार करने वालों में अधिकतर बलात्कारी अजनबी नहीं होते बल्कि जाने–माने होते हैं। एन0सी0आर0बी0 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अपराधियों में 93.3 प्रतिशत अपराधी बलात्कार के होते हैं। सन् 2010 में हमारे देश में 22172 मामलों में से 21566 मामले बलात्कार के मामले रहे हैं। एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 40 वर्षों में बलात्कार की घटनायें 79.5 प्रतिशत रही है (1971 में 87 से 2010 में 22172 हो गयी) इन आंकडों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं जो एक गंभीरता का विषय है।

श्री राजीव कुमार द्वारा समाधानात्मक विचार एवं सुझाव रखते हुए कहा गया कि बलात्कार की समस्या का समाधान दंड की कठोरता बढ़ाने में नहीं बल्कि शीघ्रतम निश्चितता करने में है तथापि न्यायपालिका समय की मांग को देखते हुए जागरूक है और उसमें प्रतिमान (रिकार्ड टाईम) में निर्णय किये हैं। अलवर (राजस्थान) त्वरित न्यायालय में 12 अप्रैल 2006 को एक 27 वर्षीय प्रबन्ध छात्र को मृत्युदण्ड दिया। बी0टी0 होत्रा मोहन्ती को एक जर्मन स्कॉलर का बलात्कार करने पर 7 वर्ष का कठोर कारावास दिया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रविन्द्र कुमार माहेश्वरी ने पूरा मामला 9 कार्य दिवसों में निपटाकर घटना से 22 दिनों में एक नया इतिहास रचा है। इस प्रकार के भावनायुक्तायुक्त रूझान से "जस्टिस डिलेड एवं जस्टिस डिलाइड" न्याय विलम्बित, न्याय तिरस्कृत की विचारधारा को बल मिलता है और इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रति स्थापित द्रुत परीक्षण के अधिकार को भी बल मिलता है।

महिला पुलिस और महिला शिक्षा बलात्कार के विशेष भय के प्रति जनता को संवेदनशील बनाने में बेहतर जागरूकता ला सकती है। विधि आयोग ने भी अपनी 172वीं रिपोर्ट में जो बलात्कार के पुनरीक्षण पर आधारित

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-9* May- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

है, बलात्कार सम्बन्धी नियमों में आंशिक परिवर्तनों की सिफारिश की है। पीड़ित के बयान पर अधिक विश्वास करने का एक कारण कमजोर वैज्ञानिक साक्ष्य भी है। बलात्कार की घटनाओं को कम करने में पुलिस बल, बलात्कारी विरोधी आन्दोलन तथा गैर सरकारी संगठनों की शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश की अपेक्षा है।

2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला

(जघन्य सामूहिक बलात्कार का यही वह केस है जिसके उपरान्त धारा 376(ई) अस्तित्व में आई)

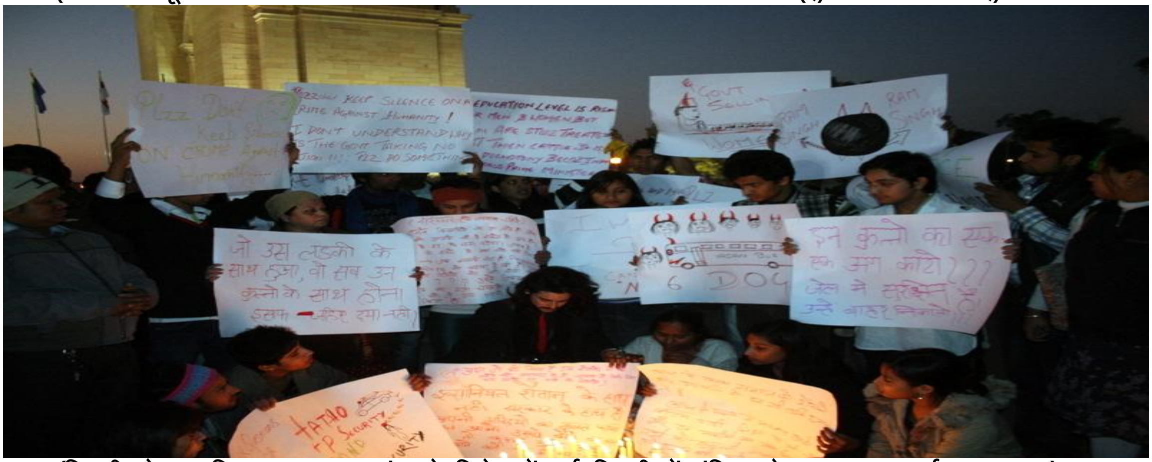

(दिल्ली के सामूहिक बलात्कार कांड के विरोध में नई दिल्ली में इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन का दृश्य)

(दिल्ली के सामूहिक बलात्कार कांड के विरोध में कलकत्ता में हुए प्रदर्शन का एक दृश्य)

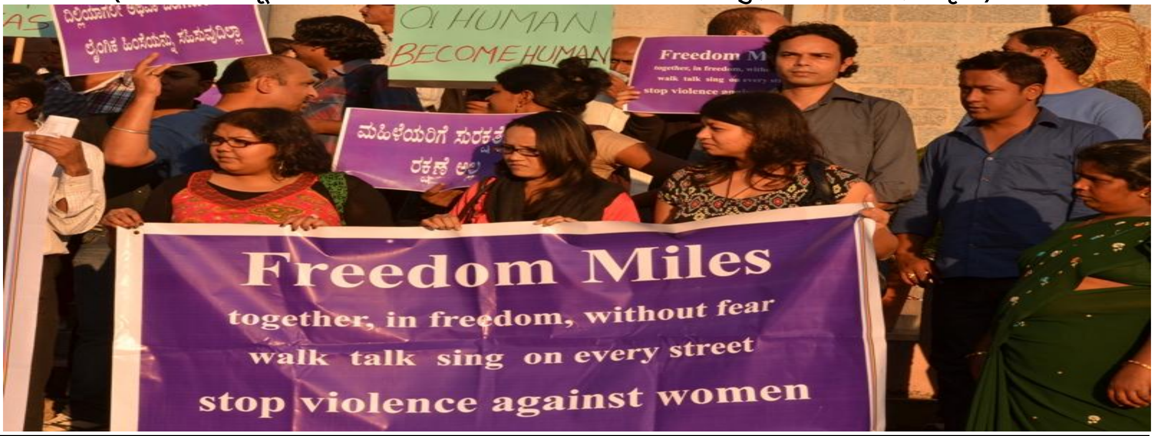

(दिल्ली के सामूहिक बलात्कार कांड के विरोध में बंगलौर का एक दृश्य)

दिल्ली के निर्भया सामूहिक बलात्कार केस से सम्बन्धित उपरोक्त चित्र मुक्त ज्ञान कोष विकीपिडया इंटरनेट से प्राप्त

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-9* May- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

दिल्ली का सामूहिक बलात्कार केस[14]

दल्ली का निर्भया केस जो "दिल्ली का सामूहिक बलात्कार केस" नाम से जाना गया 16 दिसम्बर 2012 को घटित इस जघन्य सामूहिक बलात्कार मामले की घटना ने समूचे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। उक्त सामूहिक बलात्कार केस की जानकारी संचार माध्यम के त्वरित हस्तक्षेप के कारण तीव्रता से प्रकाश में आई जिससे भारत की राजधानी नई दिल्ली में भौतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण ले रही युवती निर्भया के साथ हुए सामूहिक जघन्य अपराध की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् दिल्ली, कलकत्ता, और बंगलौर तथा पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। इस शर्मनाक और दिल दहला देने तथा शर्मशार कर देने वाली जघन्य सामूहिक बलात्कार घटना का महत्पूर्ण संक्षिप्त घटनाक्रम इसलिये भी जानना अत्यावश्यक है कि यही वह सामूहिक बलात्कार केस है जिसके कारण पूरा देश और समाज दहला गया तथा धारा 376 में संशोधन कर धारा 376ई अस्तित्व में आई थी जिसमें आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है।

1. दिल्ली में 16 दिसम्बर रविवार की रात चलती बस में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यह घटना उस वक्त हुई जब लड़की फिल्म देखने के बाद अपने पुरूष मित्र के साथ बस में सवार होकर मुनीरका से द्वारका जा रही थी।
2. लड़की के बस में बैठते ही लगभग 5 से 7 यात्रियों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उस बस में और यात्री नहीं थे। लड़की के मित्र ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की और लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में बलात्कारियों ने लड़की और उसके मित्र को दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर के नजदीक वसंत विहार इलाके में मानवता की सभी सीमायें लांघते हुए बस से फेंक दिया।
3. पीड़ित लडकी को नाजुक हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के विरोध में अगले ही दिन कई लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइटस, फेसबुक और ट्विटर के जरिये अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बस के चालक को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया और उसका नाम राम सिंह बताया गया।
4. उक्त सामूहिक बलात्कार की घटना के दो दिन बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने मीड़िया को सम्बोधित किया और जानकारी दी कि इस मामले में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस बस में सामूहिक बलात्कार किया गया था, यह बस दक्षिण दिल्ली में आर0के0 पुरम सेक्टर 3 से बरामद की गई। साक्ष्य मिटाने के लिए बस को धो दिया गया था।
5. बस चालक राम सिंह ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसकी निशानदेही पर उसके भाई मुकेश, एक जिम प्रशिक्षक विनय गुप्ता और फल बेचने वाले पवन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया।
6. 18 दिसम्बर मंगलवार को इस मामले से संसद गूंज उठी। क जहाँ आक्रोशित सांसदों ने बलात्कारियों के लिए मृत्युदण्ड की मांग की। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने संसद को राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाने का आश्वासन दिया।
7. इस बीच पीड़ित लड़की की हालत नाजुक बनी रही और उसे जीवन रक्षक संसाधन पर रखा गया। सड़को और सोशल मीडिया से उठी आवाज संसद के रास्ते सड़कों पर पहले से कहीं बुलन्द आवाज के साथ सड़कों पर उतरी और दिल्ली में जगह–जगह प्रदर्शन होने लगे।
8. दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अस्पताल जाकर बस में बर्बर सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई उस पीड़ित लड़की को देखने जा सके। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी तुरन्त लड़की को देखने सफदरजंग अस्पताल पहुँची। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पीड़ित लड़की को इलाज के लिये विदेश ले जाया जायेगा।
7. दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसने इस मामले में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन इससे आम लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ ओर शनिवार को रायसीना हिल्स पर हजारों लोग एकजुट हुए जिन्हें पुलिस ने बल प्रयोग कर तितर–बितर कर दिया।
8. विगत रविवार की घटना से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने अगले दिन रविवार को निषेधाज्ञा लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की। कड़कडाती सर्दी और मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद भी रविवार को लोग फिर दिल्ली इंडिया गेट पर जुटे। पुलिस ने एक बार फिर बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों को भले ही हटाने का प्रयास किया लेकिन विरोध और प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा।
9. 11 मार्च 2013 की सुबह तिहाड़ जेल में निर्भया सामूहिक बलात्कार केस के मुख्य आरोपी राम सिंह ने आत्महत्या कर ली। यद्यपि मुख्य अपराधी रामसिंह के परिवार वालों तथा उसके वकील का मानना है कि उसकी जेल में हत्या की गई।
10. 14 सितम्बर 2012 को इस मामले के लिए विशेष तौर पर गठित त्वरित अदालत ने चारों वयस्क दोषियों को मामले की 1260 पन्नों में लिखे निर्णय में सुनाई गई सजा हाईकोर्ट द्वारा 34 दिनों में पुनः सुनवाई कर 340 पन्नों में त्वरित न्यायालय द्वारा दी गई फाँसी की सजा पर मोहर लगाई।

मुम्बई का टेलीफोन आपरेटर सामूहिक बलात्कार केस[15]

यही नहीं दिल्ली के इस दिल दहला देने वाले जघन्य सामूहिक निर्भया बलात्कार केस के जिक्र के दौरान मुम्बई में टेलीफोन आपरेटर से सामूहिक बलात्कार के केस का जिसमें 31 लोगों की गवाही पर सुनवाई के बाद 361 पृष्ठ के आरोप पत्र को दाखिल कर दोषियों को आजीवन कारावास दिया गया, का संज्ञान लेना भी महत्वपूर्ण है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-9* May- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

मुम्बई का फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार केस

उपरोक्त मुम्बई टेलीफोन आपरेटर सामूहिक बलात्कार केस में आजीवन कारावास भुगत रहे दोषियों द्वारा कुछ दिनों बाद मुम्बई की फोटो पत्रकार के साथ भी सामूहिक दुष्कर्म किया गया जिसकी सुनवाई मुम्बई की जिला एवं सत्र न्यायधीश शालिनी जोशी फंसाल्कर ने काफी तेजी से की और इस केस के 600 पन्नों के प्रस्तुत आरोप पत्र पर सुनवाई के दौरान 44 लोगों के साक्ष्य लिये गये। घटना के 225 दिनों के भीतर सजा सुना दी गई।

मुम्बई की जिला एवं सत्र न्यायधीश न्यायाधीश शालिनी जोशी फंसाल्कर ने अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए कहा कि इन दोषियों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे में इन्हें धारा 376 की संशोधित धारा 376(ई) के दो प्रावधानों, एक आजीवन कारावास तथा दूसरा मृत्यु का दंड में से फांसी की सजा से कम सजा नहीं दी जा सकती थी। प्रधान सत्र न्यायाधीश शालिनी फंसाल्कर जब चारों दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए एक–एक कर फांसी दिये जाने का कारण बता रही थी तो तीनों आरोपी मोहम्मद सलीम अंसारी, कासिम बंगाली ओर विजय राघव तथा चौथा दोषी सिराज रहमान भी गंभीर होने के बजाये सुनवाई के दौरान नितान्त गैर जिम्मेदार और कानून के प्रति लेशमात्र भी गंभीर नहीं थे। उनके इस व्यवहार से लग रहा था कि उन्हें अपने किये पर कोई पश्चाताप नहीं है।

प्रधान सत्र न्यायधीश शालिनी फंसाल्कर जोशी ने मुम्बई की शक्ति मिल फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार केस में सन् 1955 के संशोधित दाण्डिक प्रावधानानुसार फांसी दिये जाने के दस प्रमुख कारण बताये –

1. सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला पूरी तरह सुनियोजित था।
2. दोषियों ने पीड़िता की बेचारगी का भरपूर फायदा उठाया।
3. सामूहिक दुष्कर्म को भयानक तरीके से अंजाम दिया गया।
4. दोषियों द्वारा पीड़िता के प्रति कोई हमदर्दी या मानवता नहीं दिखाई गई।
5. दोषियों ने अपराधिक साजिश का अनुसरण किया।
6. दोषियों में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा।
7. दोषियों में सुधार की कोई संभावना नहीं दिखाई देती।
8. दोषी इंसान के रूप में सेक्स के भूखे गुंडे हैं।
9. दोषियों द्वारा सामूहिक बलात्कार का अपराध पूरे होश हवाश में किया गया।
10. ऐसी घृणित सोच रखने वालों को यह सबसे कठोर संदेश है।

इस प्रकार उपरोक्त फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार केस में दिल्ली के निर्भया सामूहिक बलात्कार केस के उपरान्त बलात्कार की धारा 376 में संशोधन कर धारा 376ई जिसके अन्तर्गत सामूहिक बलात्कार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों द्वारा पुनः सामूहिक बलात्कार की पुनरावृत्ति करने पर आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है, में फांसी की सजा सुना दी गई।

सामूहिक बलात्कार में मृत्युदण्ड की सजायें प्रायः निष्प्रभावी रही

पूर्व के सामूहिक बलात्कारों में विशेषकर दिल्ली के सामूहिक बलात्कार केस में दी गई फांसी की सजा निष्प्रभावी रही और इसके बाद मुम्बई के फोटो पत्रकार केस में मृत्युदण्ड दिया जाना यह सिद्ध करता है कि दिल दहला देने वाले इन सामूहिक बलात्कार के मामलों में दी गई फांसी की सजाओं का समाज पर लगभग निष्प्रभाव ही रहा। यदि मत्युदण्ड की सजा प्रभावी प्रभाव छोड़ती तो पुनः सामूहिक बलात्कार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होती लेकिन आये दिन हम बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाओं के समाचार पत्र–पत्रिकाओं और मीडिया पर देखते हैं। अतः आवश्यकता है कि धारा 376 के संशोधित प्रावधान में आजीवन कारावास तथा मृत्यु के दंड में से संशोधित प्रावधान की धारा 376ई के बलात्कारियों को आजीवन कारावास की सजा ही देनी होगी। लम्बी अवधि की सजा अर्थात् आजीवन कारावास जेल में रहकर दोषियों द्वारा किये गये जघन्य अपराध पर पश्चाताप तथा कानून के प्रति भय की स्थिति में ही रहना होगा जिससे संपूर्ण समाज पर इसका विधिक और दांडिक उद्देश्य की प्रतिपूर्ति का प्रभाव होगा यही कानून और दंड का उद्देश्य है।

मृत्युदण्ड की त्रुटियों की अपूर्णीयता : आजीवन कारावास के प्रमुख आधारों में से एक

सामूहिक बलात्कार में अपराधियों की संख्या 1 से अधिक होती है अतः उनमें से किसी न किसी अपराधी के निर्दोष होने की संभावना बनी रहने से निम्न तथ्यों के आधार पर मना नहीं किया जा सकता। अतः सजा के समय इन तथ्यों को दृष्टिगत रखना नितान्त आवश्यक है जैसे–[16]दूषित पहचान, अपर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य, दूषित साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य और अविश्वनीय विशेषज्ञ साक्ष्य आदि के कारण त्रुटिमय दोष सिद्धियाँ हो जाती हैं। त्रुटिमय दोष सिद्धियों के परिणाम स्वरूप निष्पादित मृत्युदण्ड की क्षतिपूर्ति कभी नहीं की जा सकती और यह क्षति अनन्यतः केवल उस दोषहीन व्यक्ति के ही प्रतिकूल नहीं होती, वरन् यह समस्त मानवता के प्रतिकूल एक अपूर्णीय क्षति है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष व्यक्त किया जा सकता है कि मृत्युदण्ड का कोई विशिष्ट औचित्य नहीं है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने तथ्यों का अध्ययन कर यह कहा हो कि मृत्युदण्ड आवश्यक है। पिछली शताब्दी से मृत्युदण्ड की समाप्ति के लिए जो आन्दोलन चलाया जा रहा है वह युक्ति–युक्त विचारों के आधार पर ही चलाया जा रहा है।[17] "मृत्यु का दंडादेश न्याय के विपरीत कार्य करता है, क्योंकि दांडिक न्याय का महत्वपूर्ण उद्देश्य अपराधी का सुधार और उसे पुर्नवास प्रदान करना है। मृत्यु का दंडादेश इस उद्देश्य को अपनी अस्वीकृति प्रदान करता है।"

दिल्ली के सामूहिक बलात्कार केस के बाद मुम्बई के शक्ति मिल फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार केस में दोषियों को फांसी दिये जाने के बाद कोई भी बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना न

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-9* May- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

होती। लगातार इन घटनाओं का होना यह दर्शाता है कि दोषियों को मृत्युदण्ड न देकर आजीवन कारावास की सजा दी जाये साथ ही साथ यह एकमात्र पीड़िता के साथ न्याय होगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंगीकार किये गये निम्नलिखित तथ्य के साथ हम खड़े दिखाई देंगे –

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 नवम्बर 1967 को "महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति की घोषणा को अंगीकार किया और घोषणा में प्रस्तावित सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के लिये महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय 18 दिसम्बर 1979 को महासभा द्वारा अंगीकार किया गया। अभिसमय 1981 को प्रवृत्त हुआ और 30 अप्रैल 2011 तक इसके 187 राज्य पक्षकार बन चुके हैं।[18]

धारा 376 (ई) पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड

जो कोई धारा 376 (बलात्कार) या धारा 376 (क) (सामूहिक बलात्कार) या धारा 376 (घ) (सामूहिक बलात्कार) के सिद्ध दोष के अन्तर्गत अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, आजीवन कारवास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जायेगा अर्थात् धारा 376 (ई) या ऐसे अपराध जो इस धारा में बार–बार अपराध करते हैं उन्हें दंड का प्राविधान करती है। इसके अनुसार जो भी पूर्व में धारा 376–क, धारा 376–घ के अधीन दंडनीय अपराधा हेतु दंडित किया गया है और बाद में पुनः इन्हीं धाराओं के अधीन दंडनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाता है वह आजीवन कारावास से दंडित किया जायेगा। आजीवन कारावास का अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडनीय होगा।[19]

मानव अधिकारों का सार्वभौमिक संरक्षण के अन्तर्गत महिलाओं की प्रास्थिति पर कमीशन

1946 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने मानव अधिकार की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित महिलाओं की प्रास्थिति पर कमीशन परिषद की एक कार्यकारी परिषद है। इसमें महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक, सिविल, सामाजिक तथा शैक्षिक अधिकारों के क्षेत्र में महिलाओं की सर्वांगीण विकास की स्थितियों को समाहित किया गया है।[20]

मारीशियन वीमेन्स वाद

मारीशस के कानून के अनुसार मारीशस की महिलायें विदेशी राष्ट्रीयता वाले पुरूषों से विवाह के मामले ऐसे मारीशस के पुरुष जो विदेश्घ महिलाओं के साथ विवाह करते थे, के मुकाबले में अलाभकर स्थिति में थी। मारीशस महिलायें विदेशी पुरूषों से विवाह करने पर देश से निष्कासित की जा सकती थी। मानव अधिकार समिति ने मामले पर विचार करने के पश्चात् मत व्यक्त किया कि उक्त मारीशस कानून से सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा के अनुच्छेद 2 (1), 3, 26, 17 (1) तथा 23 (1) का उल्लंघन हुआ है।[21]

महिलाओं पर विश्व सम्मेलन

प्रथम विश्व महिला सम्मेलन मैक्सिको शहर में 1975 में, दूसरा महिला विश्व सम्मेलन कोपेनहगेन में 1980 में, तृतीय महिला विश्व सम्मेलन नैरोबी में 1985 में तथा चौथा महिला विश्व सम्मेलन बीजिंग (चीन) में 4 सिम्बर से लेकर 15 सिम्बर 1995 तक महिलाओं के 'समानता, विकास तथा शांति, शिक्षा, नियोजन तथा स्वास्थ्य आदि महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आयोजित हुआ। महिलाओं की उन्नति के लिए 2000 तक की अग्रिम–मुखी रचना कौशल में सभी स्तरों पर महिलाओं को अधिकार देने तथा उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की कार्यवाही का एक ढांचा है।[22]

समाज के लिये नसीहत है दाण्डिक व मानवाधिकार आयोग के प्रावधान तथा महिलाओं का इतिहास

हमने देखा चाहे महिलाओं के संघषपूर्ण गौरवमयी इतिहास को महान विद्वानों द्वारा उपरोक्त 71 पुस्तकों और ग्रन्थों में लिखा जाना हो, चाहे प्रागैतिहासिक काल, बौद्धि काल, जैन धर्म काल, बौद्ध काल, मौर्यकाल, बुद्धकाल, राजपूत काल, मध्यकाल, पूर्नजागरण काल, भक्तिकाल, बीसवीं, इकीसवीं सदी का मिश्रित आधुनिक काल मानवाधिकार आयोग में महिलाओं को प्राप्त सम्मान व संरक्षण सभी में महिलाओं का राष्ट्रीय मान और समाज निर्माण अद्वितीय तथा अविस्मरणीय योगदान हो समाज व्यवस्था, कानून व्यवस्था तथा न्यायिक दंड व्यवस्था को झकझरोते हुए नसीहत देने वाला है कि नारी सम्मान करना ही होगा तथा उसके विरूद्ध होने वाले शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार तथा आमुनिषकता की पराकाष्ठता लांघने वाले सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की विकृत सोच को विधिक और कड़े दांडिक प्रावधानों का प्रयोग कर कडाई से रोकना होगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव

महिलाओं के विभिन्न युगों व कालों के गौरवमयी सोपानों को देखते हुए और स्वतंत्रता से पूर्व और बाद में सरकार द्वारा संचालित महिलाओं के धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक उत्थान को लेकर संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं को उनके सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण के प्रति सरकार की गंभीरता दर्शाता है। सरकार द्वारा समय–समय पर उनके बहुआयामी कल्याण के प्रति विभिन्न नियमों, अधिनियमों को स्थापित करते हुए उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर दिये जाने के उपरान्त भी बलात्कार ही नहीं, सामूहिक बलात्कार की घटनाओं की पुनरावृत्ति आजीवन सजा भुगतने वाले अभियुक्तों द्वारा की जाती है और सरकार के सामने दांडिक परिवर्तन कर धारा 376 में संशोधन कर धारा 376ई के अन्तर्गत आजीवन कारावास और मृत्युदण्ड का प्रावधान करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता। यही प्रमुख कारण धारा 376ई का औचित्य उत्पन्न करता है लेकिन फिर भी अब तक के निष्कर्षों को देखते हुए मृत्युदण्ड तथा आजीवन कारावास में से आजीवन कारावास का दिया जाना ही औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। सामूहिक बलात्कार की धारा 376ई में मृत्युदण्ड तथा आजीवन कारावास में से आजीवन कारावास दिये जाने के निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण कारण औचित्य के रूप में आते हैं –

1. सामूहिक बलात्कार केस में भी दूषित पहचान, अपर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य, दूषित साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य तथा अविश्वनीय विशेषज्ञ साक्ष्य के कारण त्रुटिमय दोषसिद्धि के कारण निष्पादित मृत्युदण्ड की क्षतिपूर्ति असंभव है अतः मृत्युदण्ड के औचित्य का स्थान आजीवन कारावास की ओर ही जाता है।
6. 16 दिसम्बर 2012 को घटित दिल्ली के निर्भया सामूहिक बलात्कार केस के बाद अस्तित्व में आई धारा 376(ई) के प्रावधानानुसार मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास में से मृत्युदण्ड दिया जाना भी नितान्त निष्प्रभावी रहा। यही धारा 376(ई) के दूसरे विकल्पीय दण्ड (आजीवन कारावास) के औचित्य को उत्पन्न करता है। सन् 2014 के मुम्बई फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार केस में धारा 376 (ई) के प्रावधानान्तर्गत दिया गया मृत्युदण्ड भी निष्प्रभावी स्थितियों की ओर ही इंगित करते हुए आजीवन कारावास के औचित्य को ही दर्शाता है।
7. अब तक के निष्कर्ष बताते हैं कि आजीवन कारावास अपराधी और समाज पर दीर्घकालीन स्थायी प्रभाव छोड़ने में सफल रह हैं समाज भी दी गई सजा का स्थायी प्रभाव चाहता है। आजीवन कारावास अपराधी में अपराध और कानून के प्रति भय तथा किये गये अपराध पर आजीवन पश्चाताप एवं आत्मग्लानि उत्पन्न करता है, अतः सामूहिक बलात्कार की धारा 376 (ई) में मृत्यु के दण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास का ही औचित्य प्रदर्शित होता है।

महिलाओं के प्रति नैतिक और भावनात्मक मनोविज्ञान स्थापित करना होगा

समाज को महिलाओं के उपरोक्त सामाजिक इतिहास को दृष्टिगत रखकर सामाजिक मनोविज्ञान विकसित करना होगा। पुस्तकों, ग्रन्थों, लिखित, अलिखित इतिहास, सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम, योजनाओं, महिला आयोगों, मानवाधिकार आयोग तथा विधि व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था तथा दांडिक व्यवस्था, महिला पुलिस और महिला शिक्षा बलात्कार के विशेष भय के प्रति जनता को संवेदनशील बनाने में बेहतर जारूकता लाने में, बलात्कार विरोधी आन्दोलन तथा गैर सरकारी संगठनों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करना तथा विधि आयोग द्वारा समय–समय पर दी गई रिर्पोटें, उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में बलात्कार कानून अपर्याप्त है और उसके उपरान्त कुछ सुझाव दिया जाना, विधान मण्डल को बलात्कार से सम्बन्धित नियमों में अपेक्षित परिवर्तन करना आदि महिला उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार और सामूहिक बलात्कार रोकने में समय–समय पर अपना कार्य करते आ रहे हैं और विधिक संशोधन, दांडिक संशोधनों, सांवैधिनक संशोधनों के अन्तर्गत करते रहेंगे।

महत्वपूर्ण यह होगा कि हम अपने सामाजिक महिला चिंतन में महिलाओं के समाज निर्माण में अविस्मरणीय योगदान को याद रखते हुए अपने सामाजिक मनोविज्ञान के नैतिक तथा भावनात्मक दृष्टिकोण को बदलें तथा माँ, बहिन, नारी, मातृ–शक्ति शब्दों की गरिमामयी मर्यादित नैतिक चारित्रिक स्थिति का स्वावलोकन कर भावनात्मक स्वनिरीक्षण करें तथा अपने नैतिक तथा भावनात्मक मनोविज्ञान को महिला सम्मान के प्रति मर्यादित होकर समर्पित करें। पुरूष समाज विशेषकर युवा वर्ग रात के अंधकार अथवा एकाकी वातावरण में भी बलात्कार अथवा सामूहिक बलात्कार तो क्या ऐसे विकृत चिंतन की परिकल्पना की गिरफ्त में भी नहीं न सकेगा। उसकी परिकल्पना की आत्मा में छिपा हुआ बलात्कारी दानव काँप उठेगा और बलात्कारी दानव के स्थान पर करूणामयी 'मर्यादित मानव' जीवंत हो उठेगा। यह नैतिक मनोविज्ञान है जिसको हर स्थिति में पुर्नजीवित करने का समय आ गया है ताकि महिला शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के आंकड़े ही उलट जायें और संवैधानिक, विधिक, दांडिक प्रावधानों के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में नैतिकता एक सशक्त दीवार साबित हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डॉ0 के0एल0 खुराना एवं डॉ0 एस0एस0 चौहान द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय इतिहास में महिलाएँ' पुस्तक के अध्याय एक 'भारतीय इतिहास में महिलाओं के अध्ययन के साक्ष्य' के पृष्ठ 1 से उद्‌त।*
2. *डॉ0 के0एल0 खुराना एवं डॉ0 एस0एस0 चौहान द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय इतिहास में महिलाएँ' पुस्तक के अध्याय एक 'भारतीय इतिहास में महिलाओं के अध्ययन के साक्ष्य' के पृष्ठ 2 से 6 तक से उद्‌त।*
3. *डॉ0 के0एल0 खुराना एवं डॉ0 एस0एस0 चौहान द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय इतिहास में महिलाएँ' पुस्तक के अध्याय दो 'भारतीय इतिहास में महिलाओं के अध्ययन के साक्ष्य' के पृष्ठ 12 से 16 तक से उद्‌त।*
4. *डॉ0 के0एल0 खुराना एवं डॉ0 एस0एस0 चौहान द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय इतिहास में महिलाएँ' पुस्तक के अध्याय दो 'भारतीय इतिहास में महिलाओं के अध्ययन के साक्ष्य' के पृष्ठ 21 से 23 तक से उद्‌त*
5. *डॉ0 के0एल0 खुराना एवं डॉ0 एस0एस0 चौहान द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय इतिहास में महिलाएँ' पुस्तक के अध्याय चार 'भारतीय इतिहास में महिलाओं के अध्ययन के साक्ष्य' के पृष्ठ 47 से 51 तक से उद्‌त*
6. *डॉ0 के0एल0 खुराना एवं डॉ0 एस0एस0 चौहान द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय इतिहास में महिलाएँ' पुस्तक के अध्याय अठारह 'भारतीय इतिहास में महिलाओं के अध्ययन के साक्ष्य' के पृष्ठ 158 से 174 तक से उद्‌त।*
7. *दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र (दिनांक 5–3–2018) के पृष्ठ 13 से उपलब्ध।*
8. *दैनिक राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र (दिनांक 8–3–2018) के पृष्ठ 16 में प्रकाशित समाचार से।*
9. *डॉ0 के0एल0 खुराना एवं डॉ0 एस0एस0 चौहान द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय इतिहास में महिलाएँ' पुस्तक के अध्याय बीस 'महिला कल्याण हेतु पारित वैधानिक अधिनियम व कार्य' के पृष्ठ 178 से 179 तक से उद्‌त।*

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-9* May- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

10. डॉ0 के0एल0 खुराना एवं डॉ0 एस0एस0 चौहान द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय इतिहास में महिलाएँ' पुस्तक के अध्याय बीस 'महिला कल्याण हेतु पारित वैधानिक अधिनियम व कार्य' के पृष्ठ 180 से 181 तक से उदृत।
11. डॉ0 के0एल0 खुराना एवं डॉ0 एस0एस0 चौहान द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय इतिहास में महिलाएँ' पुस्तक के अध्याय तेरह 'महिला सशक्तिकरण' के पृष्ठ 131 से 132 से उदृत।
12. ओम दत्त वशिष्ट द्वारा लिखित पुस्तक 'मानव अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय – एक दृष्टिकोण' नाम पुस्तक के अध्याय एक के 'मानव अधिकारी की अवधारणा' नामक उप अध्याय 'महिलाओं की परिस्थिति पर आयोग' के पृष्ठ 34 से 35 तक से उदृत।
13. इंडियन बार रिव्यू 2015 के राजीव कुमार द्वारा 'बलात्कार के लिये मृत्यु दण्ड' विषय के पृष्ठ 119 से 126 तक सम्पादक विजय भट्ट, संयुक्त संपादक राजिन्दर सिंह, बार कांउसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
14. नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता दैनिक हिन्दुस्तान 2014 में प्रकाशित।
15. मुम्बई संवाददाता नवीन कुमार दैनिक हिन्दुस्तान 5 अप्रैल 2014 पृष्ठ 18 पर प्रकाशित।
16. डॉ0 मुरलीधर चतुर्वेदी द्वारा लिखित अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स 10 सर पी0सी0 बनर्जी रोड इलाहाबाद–2 के पृष्ठ संख्या 204 से उदृत।
17. डॉ0 मुरलीधर चतुर्वेदी द्वारा लिखित अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स 10 सर पी0सी0 बनर्जी रोड इलाहाबाद–2 के पृष्ठ संख्या 206 से उदृत।
18. ओम दत्त वशिष्ट द्वारा लिखित पुस्तक 'मानव अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय – एक दृष्टिकोण' नाम पुस्तक के अध्याय छह के 'समाज के दुर्बल एवं अशक्त वर्ग समूह और मानव अधिकार' नामक उप अध्याय 'महिलाओं की परिस्थिति पर आयोग' के पृष्ठ 174 से उदृत।
19. प्रो0 सूर्य नारायण मिश्र द्वारा लिखित "भारतीय दंड संहिता" का 24वाँ संस्करण 2013, प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, कानूनी पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक, 30–डी/1, मोती लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद के पृष्ठ संख्या 643 से 644 से उद्घृत।
20. ओम दत्त वशिष्ट द्वारा लिखित पुस्तक 'मानव अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय – एक दृष्टिकोण' नाम पुस्तक के अध्याय छह के 'समाज के दुर्बल एवं अशक्त वर्ग समूह और मानव अधिकार' नामक उप अध्याय 'महिलाओं की परिस्थिति पर आयोग' के पृष्ठ 174 से उदृत
21. डॉ0 एस0के0 कपूर द्वारा लिखित "मानव अधिकार एवं अर्न्तराष्ट्रीय विधि" 30वाँ संस्करण 2014 प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी कानूनी पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक 30/डी/1 मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद–2 के पृष्ठ सं0 739
22. डॉ0 एस0के0 कपूर द्वारा लिखित "मानव अधिकार एवं अर्न्तराष्ट्रीय विधि" 30वाँ संस्करण 2014 प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी कानूनी पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक 30/डी/1 मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद–2 के पृष्ठ सं0 750